

है पत्रा. 15/11/20  
पेशा है / ✖

शीपान्य

पत्रा. पेशा हुई। ब. उ. 34-1 वाली का दावा  
मोटर-सेस में खारिज किया जा  
-पुत्रा है। अब इन प्रार्थना - पत्र 212  
RTI का कोई औचित्य नहीं रहे  
जाता है। अतः प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र 212  
RTI से तब खारिज किया जाता  
है पत्रावली प्रत्येक शुभारंभ होकर  
साथिल इफ्तदा ही है

Noted  
8-11-24

उपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरत)